कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय पता : वन भवन, तृतीय तल, 85–राजपुर रोड़, देहरादून, ☎0135–2740391, 2740396 ईमेल–ccfhrd-forest-uk@nic.in

वनादेश सं0 58 11-13(13) एच0आर0डी0 देहरादून दिनांक, 18 ,मई, 2023.

पदोन्नति/तैनाती आदेश

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड कार्यालय के पत्रांक I/8678/2022/1–13(एच0आर0डी0) दिनांक 28–10–2022 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 03–11–2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित **प्रधान सहायक, वेतनमान 35,400–1,12,400 लेविल 6 की प्रशासनिक अधिकारी, वेतनमान 44,900–1,42,400 लेविल 7 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से** प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख **कॉलम–4** में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्रीमती गायत्री वर्मा	वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड नैनीताल	अ0प्र0व0सं0/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून
2	श्रीमती प्रमिला पन्त	प्र0व0 रामनगर वन प्रभाग रामनगर	मु0व0सं0, इको टूरिज्म, प्रचार एवं प्रसार, देहरादून
3	श्री ललित मोहन सती	प्र0व0, रामनगर वन प्रभाग रामनगर	प्र0व0, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौडी

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायगी।

2. संबंधित कर्मचारी पदोन्नति आदेश होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का **पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।**

3. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व प्रमुख वन संरक्षक, HoFF, उत्तराखण्ड, देहरादून को **कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये।**

4 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम–22(ए)(1) एवं 22–बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी तिथि विकल्प दिये जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से 01 माह की समय–सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

यह आदेश प्रमुख वन संरक्षक, HoFF महोदय के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

पत्र सं0 1414(1)/ 1–13(13) H.R.D. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक।
2. आदेश में अंकित संबंधित कार्यालय।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु0व0सं0,अनुश्रवण,मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख वन संरक्षक,HoFF को प्रमुख वन संरक्षक,HoFF महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

आई. टी. सी. विभागीय वेबसाइट में अपलोड करें
19.5.2023